

स्पीड पोस्ट/ईमेल द्वारा

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.3/2/ईसीआई/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/2015

दिनांक: 23 दिसम्बर, 2016

सेवा में

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों  
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

**विषय:- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण(संशोधन) नियम, 2016-निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 से संलग्न फार्म 6 से 8 क तक, 18 तथा 19 में संशोधन-तत्संबंधी।**

महोदय/महोदया,

मुझे, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में संशोधन किए जाने सम्बन्धी विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग की अधिसूचना सांविधिक आदेश सं.2968(अ.) दिनांक 16 सितम्बर, 2016 की प्रति इसके साथ भेजने का निदेश हुआ है। इस संशोधन के द्वारा फार्म 6, 6क,7,8,8क,18 तथा 19 में संशोधन किया गया है।

इसे सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा अन्य संबंधित निर्वाचन प्राधिकारियों तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की राज्यीय इकाइयों और अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आधारित पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उनकी सूचना के लिए उनके नोटिस में लाया जाए।

कृपया पावती भेजें।

भवदीय,



(एन.टी.भुटिया)

अवर सचिव